GST NO- 06CMPDD7021F1Z9

9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

S.No. 02

Date 28/06/2023

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन, भोपाल।

विषय–रीवा जिले के अंतर्गत परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक PF-334 की 4.59 हेक्टेयर संरक्षित वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुडडा भिवानी, हरियाणा को उपयोग पर देने बावत।

संदर्भ– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), म0प्र0 का पत्र क्रमांक एफ–1 / 835 / 2022 / 10–11 / 1934 दिनांक 12 / 05 / 2023

––0––

उपरोक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा 14 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी का बिन्दुवार उत्तर निम्नानुसार है :–

1. वन विभाग से संबंधित है।
2. हमारे द्वारा इस प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु समतुल्य गैर वनभूमि वन सीमा से लगी हुई उपलब्ध कराई गई है।
3. हमारे द्वारा इस प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु उपलब्ध कराई गई गैर वनभूमि वन क्षेत्र के बाहर है तथा वन सीमा से लगी हुई है। सम्भवतः पोर्टल पर वन सीमा में शिफ्टिंग के कारण यह त्रुटि परिलक्षित हो रही है।
4. वन विभाग से संबंधित है।
5. प्रस्तावित वनभूमि से किसी प्रकार की रेलवे लाईन, विद्युत लाईन, सड़क या नहर इत्यादि नहीं गुजर रहे हैं। अतः इन विभागों की अनापत्ति लिये जाने की आवश्यकता नहीं है।
6. यह प्रस्ताव हमारी निजी फर्म का है। फर्म द्वारा इस खदान को संचालित करने का निर्णय लिया गया है। अतः किसी प्रकार की प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

PROPRIETOR

Prop.

GST NO- 06CMPDD7021F1Z9

9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

S.No..................

Date..................

7. इस खदान के माईनिंग प्लान की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गई है, जिसकी प्रति संलग्न है।

8. प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के बाद ही जारी होती है। प्रस्ताव में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रचलित है।

9. यह खनिज वन क्षेत्र में ही उपलब्ध है। खनिज अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है। यह प्रमाण पत्र वनमण्डलाधिकारी, रीवा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

10. यह खनिज वन क्षेत्र में ही उपलब्ध है। खनिज अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है। यह प्रमाण पत्र वनमण्डलाधिकारी, रीवा द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

11. इन खदानों के आवंटन की प्रक्रिया खनिज विभाग द्वारा, उनके द्वारा निर्धारित नीति एवं प्रक्रिया के अनुसार की गई है। खनिज विभाग द्वारा इन खदानों की आवंटन की प्रक्रिया पृथक–पृथक करते हुये आवंटन की कार्यवाही खदानवार अलग–अलग की गई है। अतः प्रकरण में आवंटन अनुसार ही प्रस्ताव ऑनलाईन अलग–अलग प्रस्तुत किये गये हैं।

12. चूँकि खनिज विभाग द्वारा खदानों का आवंटन पृथक–पृथक किया गया है। अतः माईनिंग प्लान भी पृथक–पृथक बनाये गये हैं। एकजाई माईनिंग प्लान बनाने पर संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म कार्यालय द्वारा स्वीकृति नहीं की जावेगी।

13. आवेदित स्थल पर खनिज सेंड स्टोन (क्वाजिटिक) प्रकृति का है जो वन भूमि में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना लेख किया गया है। आवेदित क्षेत्र के आस–पास राजस्व क्षेत्र में इस तहर के खनिज की उपलब्धता नगण्य है। इस आशय का प्रस्ताव माईनिंग अधिकारी द्वारा दिया गया है।

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Prop.

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

PROPRIETOR

GST NO- 06CMPDD7021F1Z9 9812503000

M/s. SWAMI NITYANAND JI MAHARAJ STONES

S.No.....Q2.....   Date.....28/06/2023

14. खनन प्लान की जानकारी स्वीकृत माईनिंग प्लान के चेप्टर क्रमांक–7 पर पेज नं. 20 एवं 21 में दी गई है।

(ललित पधांल)
स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर

पृ0 क्रमांक / Q2
दिनांक
प्रतिलिपि–

1. मुख्य वन संरक्षक, रीवा वृत्त, रीवा, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, रीवा, मध्यप्रदेश

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
PROPRIETOR

स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स
प्रोप्राइटर

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
PROPRIETOR

For M/s Swami Nityanand Ji Maharaj Stones

Prop.

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, वनमण्डल सा० रीवा (म.प्र.)

जयन्ती कुंज, झिरिया, रीवा

E-Mail- dfot.rwa@mp.gov.in , Phone- 07662- 299135

क्रमांक / मा.चि. / 5584 रीवा, दिनांक 22-06-23

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध)
सतपुड़ा भवन भोपाल (म.प्र.)

विषय :– वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 334 के रकवा 4.590 हे. वनभूमि में सेंड पत्थर (अर्थात क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का – आवेदक स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा का ऑन लाइन प्रस्ताव क्रमांक FP / MP / MIN / 152432 / 2022

संदर्भ:– 1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र./6–एमपीआर 012 / 2023–बीएचओ / दिनांक 11.05.2023

2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध) सतपुड़ा भवन भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–1 / 835 / 2022 / 10–11 / 1934 भोपाल दिनांक 12.05.2023

———00———

विषयांतर्गत अनुरोध है कि संदर्भित पत्र क्रमांक 02 अनुसार चाही गई बिन्दु क्रमांक 03 एवं 04 की जानकारी इस कार्यालय से चाही गई है, जिसे टेबुलर फार्म में तैयार कर संलग्न है। बिन्दु क्रमांक 11 एवं 19 की जानकारी कलेक्टर खनिज शाखा से प्राप्त की जाकर आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

क्र.	भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी	पालन प्रतिवेदन
3	About 1.01 ha CA area falling in foret compartment no. 1107, Range – Deori, Division – South Sagar and out of 4.59 ha, 3.00 ha area is MDF category. It shall be clarified.	जानकारी वनमण्डल दक्षिण सागर से संबंधित है।
4.	Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.	संलग्न है।
9.	The certificate from Competent Authority about non availability of the same minerals in surrounding/nearby non-forest area shall be submitted.	कलेक्टर खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 2024 दिनांक 16.06.2023 से अवगत कराया गया है कि आवेदित स्थल पर खनिज सेंड स्टोन (क्वाजिटिक) प्रकृति का है जो वनभूमि में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना लेख किया गया है। आवेदित क्षेत्र से दूरस्थ दूरी पर खनिज गिट्टी, पत्थर उत्खनि पट्टा स्वीकृत होकर सचालित है। आवेदित क्षेत्र में जिस गुणवत्ता का खनिज विद्यमान है वह अन्य स्थानों पर नगन्य है। (छायाप्रति संलग्न)
10.	Status of same minerals surrounding revenue area shall be submitted.	कलेक्टर खनिज शाखा के पत्र क्रमांक 2024 दिनांक 16.06.2023 से अवगत कराया गया है कि आवेदित क्षेत्र में जिस गुणवत्ता का खनिज विद्यमान है वह अन्य स्थानों पर नगन्य है। (छायाप्रति संलग्न)

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(चन्द्रशेखर सिंह भा.व.से.)
वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा.क्र. / मा.चि. / 5585 रीवा, दिनांक / 22-06-23

प्रतिलिपि :–

1. वन संरक्षक रीवा वृत्त रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।
2. श्री ललित पंघाल, प्रोपराइटर, स्वामी नित्यानंद महाराज स्टोन हाउस 975 / 76, सेक्टर 13 हुदा भिवानी, हरियाणा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

Justification

आवेदक द्वारा वनमण्डल रीवा के वन परिक्षेत्र मऊगंज के ग्राम हर्रई गुजरान, तहसील मऊगंज की शासकीय भूमि के खसरा क्रमांक 2/1 पी. में रकबा 4.590 हेक्टेयर वन भूमि में खनिज पत्थर (यांत्रिकीय विधि से गिट्टी निर्माण) उत्खनन किया जाना है। उक्त क्षेत्र में उत्तम श्रेणी का पत्थर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। उक्त क्षेत्र में पाया जाने वाला खनिज सेंड स्टोन है, जो क्वार्टजिटिक प्रकृति का है, जिसे गौण खनिज के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। प्रस्तावित वन क्षेत्र में खनिज पत्थर की उपलब्धता को देखते हुए उक्त प्रस्तावित खनिज पत्थर का उत्खनि पट्टा प्रदान किया जाता है तो खनिज राजस्व में वृद्धि होगी एवं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है।

Q/S

वनमंडलाधिकारी
दक्षिण वन, रीवा

(ललित पंघाल)
प्रोपराईटर
म.न. 975/76 सेक्टर,13 हुड्डा भिवानी
हरियाणा

Swami Nityanand Ji Maharaj Stones
PROPRIETOR

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–रीवा (म.प्र.)

E-mail- modgmrew@mp.gov.in

क्रमांक / 2024 / खनिज / 2023 रीवा दिनांक 16/06/2023

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
वनमण्डल रीवा (म.प्र.)

विषय :– वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 334 के रकवा 04.460 हे0 एवं रकवा 04.590 हे0 वन भूमि में सेंड पत्थर (अर्थात् क्रेशर के उपयोग हेतु) उत्खनन के व्यपवर्तन का – स्वामी नित्यानंद जी महाराज स्टोन्स, हुड्डा भिवानी, हरियाणा का क्रमशः आनलाइन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/152431/2022 एवं FP/MP/MIN/152432/2022

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक 5124 दिनांक 12.06.2023

---x-x-x---

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके द्वारा संदर्भित पत्र के संबंध में लेख किया गया है कि वन मण्डल रीवा के परिक्षेत्र मऊगंज के वन कक्ष क्रमांक पी.एफ. 334 के रकवा 04.590 हे0 के संबंध में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में जांच खनि निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

जिसके अनुसार आवेदित स्थल पर खनिज सेंड स्टोन (क्वार्टजिटिक) प्रकृति का है। आवेदित क्षेत्र (वन भूमि) में प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध होना लेख किया गया है। आवेदित क्षेत्र से दूरस्थ दूरी पर खनिज गिट्टी, पत्थर उत्खनिपट्टा स्वीकृत होकर संचालित है। आवेदित क्षेत्र में जिस गुणवत्ता का खनिज विद्यमान है वह अन्य स्थानों पर नगण्य है। वांछित जानकारी आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संप्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

प्रभारी अधिकारी खनिज
कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

प्रभारी अधिकारी खनिज
हेतु कलेक्टर जिला रीवा (म.प्र.)

5623
22-06-23

मा.चि.